कार्यालय, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, भोजपुर।

सकारण आदेश

सहायक प्रबंधक, WSYT @ 17.03.2014 @ CIO—07031802970 एवं 07031803000 के विरूद्ध कुल 38.25 क्वींटल चावल तथा 25.5 क्वींटल गेहूँ वाहन सं0–BR 03K 8228 एवं CH 65 138 पर लोड कराकर आर0टी0 नोट सं0 2885897 एवं 2885898 को संधारित करते हुए उक्त खाद्यान्न को श्री शिवलाल राय, ज0वि0प्र0 विक्रेता, नथमलपुर, बड़हरा की दुकान तक सुरक्षित पहुँचाने हेतु बड़हरा गोदाम –सह– प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री रंजन कुमार सिंह को हस्तगत कराया गया। उक्त खाद्यान्न श्री शिवलाल राय, ज0वि0प्र0 विक्रेता की दुकान तक डोर स्टेप डिलेवरी के परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता द्वारा नही पहुँचाया गया।

पुनः दिनांक 22.03.2018 को निम्नांकित ज0वि0प्र0 विक्रेताओं की दुकान के लिए निम्नलिखित भंडार निर्गमादेशों के विरूद्ध उनके नाम के सामने अंकित मात्रा में चावल एवं गेहूँ का आर0टी0 नोट संधारित कर
परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता, श्री संजय कुमार सिंह के प्राधिकृत प्रतिनिधि को हस्तगत कराया गया।

क्र0 सं0	डीलर का नाम	भंडार निर्गमादेश सं0	निर्गत खाद्यान्न की मात्रा (क्वी0 में)	Q0	RT Note No.
1	श्री शिवकुमार तिवारी	07031802887 07031802924	चवल — 61.71 — 41.14	BR 3G 8833, BR 03K 6895, Bk03K8228	2885293 2885292 2085201
2	श्री भुवनेश्वर प्रसाद	O70318O28B5	3 — 08.55 गेहूँ — 05.70	CH 65 138	2885288
3	श्री अजय कुमार राम	07031802884 07031802922	'£f I — 37.66 गेहूँ — 25.24	BR 03K 0342, BR 03K 7696	2885286 2885287

उक्त खाद्यान्न उपर्युक्त ज0वि0प्र0 विक्रेताओं की दुकान तक डोर स्टेप डिलेवरी के

31.03.2018 को जॉच हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक प्रबंधक, बड़हरा द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ट्रांसपोर्टर को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया, जिसका आर0टी0 चालान पर पावती भी लिया

दिया गया है, परन्तु ट्रांसपोर्टर द्वारा आर0टी0 चालान एवं एस0आईओ0 पर संबंधित विक्रेताओं के खाद्यान्न

डिलेवरी के परिवहन हथालन अभिकर्त्ता श्री संजय कुमार सिंह को दोषी पाते हुए उप विकास आयुक्त, भोजपुर आरा के पत्रांक 287 दिनांक 31.03.2018 के माध्यम से सहायक प्रबंधक, बड़हरा को श्री संजय कुमार सिंह, ट्रांसपोर्टर (डी0एस0डी0) पर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निदेशित किया गया। तदुपरान्त श्री तौसीफ कयाम, सहायक प्रबंधक, बड़हरा द्वारा श्री संजय कुमार सिंह के विरूद्ध बड़हरा थाना कांड सं0–128 दिनांक 01.04.2018 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

ज्ञापांक 861 दिनांक 03.04.2018 द्वारा श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन परिवहन, हथालन–सह–आपूर्ति

1. परिवहन समिति की बैठक में उपस्थित श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन डोर स्टेप डिलेवरी के परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता को उपर्युक्त संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। श्री सिंह द्वारा अपने पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य/प्रदर्श प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. श्री संजय कुमार सिंह द्वारा अपने पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य/प्रदर्श प्रस्तुत नहीं करने के स्थिति में उपर्युक्त सभी तथ्यों पर सम्यक् विचार करते हुए जिला परिवहन समिति, भोजपुर द्वारा उप महाप्रबंधक, परिवहन, निगम मुख्यालय, पटना के पत्रांक 6698 दिनांक 03.07.2018 के आलोक में (क) श्री संजय कुमार सिंह तत्कालीन परिवहन, हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) द्वारा किए गए एकरारनामा को रद्द करने, (ख) श्री सिंह को अगले पॉच वर्षो के लिए परिवहन अभिकर्त्ता की काली सूची में नाम दर्ज करने तथा (ग) श्री सिंह तत्कालीन परिवहन, हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) द्वारा जमा की गई जमानत की राशि (पॉच लाख रूपये) एवं बैंक गारंटी की राशिं (दस लाख रूपये) को जब्त करने के लिए सकारण आदेश पारित करने हेतु जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर को निदेशित किया गया।

अतः दिनांक 17.03.2018 एवं 22.03.2018 को राज्य खाद्य निगम, भोजपुर के टी0पी0डी0एस0 गोदाम बड़हरा से बड़हरा प्रखण्डान्तर्गत नथमलपुर पंचायत के ज0वि0प्र0 विकेताओं के लिए खाद्यान्न का उठाव कर गंतव्य तक नहीं पहुँचाने के कारण डी0एस0डी0 अभिकर्त्ता श्री संजय कुमार सिंह को खाद्यान्न के उठाव में अनियमितता बरतने के लिए दोषी पाये जाने के चलते जिला परिवहन समिति, भोजपुर आरा के उपर्युक्त निदेश के आलोक में श्री संजय कुमार सिंह डी0एस0डी0 अभिकर्त्ता द्वारा किये गये एकरारनामा की कंडिका 4 (d),(e), (f) में निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैः–

1. श्री संजय कुमार सिंह, परिवहन, हथालन–सह आपूर्ति अभिकर्त्ता (D.S.D) भोजपुर द्वारा किये गये एकरारनामा को रद्द किया जाता है।

2. श्री संजय कुमार सिंह, परिवहन, हथालन–सह आपूर्ति अभिकर्त्ता (D.S.D) को अगले 5 वर्षो के लिए परिवहन अभिकर्त्ता की काली सुची में डाला जाता है एवं किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंन्धित किया जाता है।

3. श्री संजय कुमार सिंह, परिवहन, हथालन–सह आपूर्ति अभिकर्त्ता (D.S.D) भोजपुर द्वारा जमा की गई राशि (5 लाख रू0) एवं बैंक गारंटी की राशि (10 लाख रू0) को जब्त किया जाता हैं।

जिला प्रबंधक
राज्य खाद्य निगम
भोजपुर।

ज्ञापांकः– 1675 दिनांकः– 2·8·18

प्रतिलिपिः– श्री संजय कुमार सिंह,परिवहन ,हथालन–सह आपूर्ति अभिकर्ता (D.S.D), राज्य खाद्य निगम भोजपुर आरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उपमहाप्रबंधक, परिवहन निगम मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला प्रबंधक
राज्य खाद्य निगम
भोजपुर।